Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SSK/3/2018/MCVL1/SEPROM/RU-III **Date: 22.01.2019**

To,

1. The Chairman-cum- Managing Director,
Air India,
Airlines House ,113,
Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110001

2. The Chief (HR),
Air India Express Limited,
Gandhi Square, D.H. Road,
Kochi - 682016

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice – Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 02.11.2018 in the matter of Representation dated 27.07.2018 of Smt. S. Shalini Kujur, H.No. 10/D, 3rd floor, MIG Flats, Green View apartment, Sector 99, Noida Uttar Pradesh. regarding release pending Promotion for the post of check cabin crew from 2016.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 02.11.2018 on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

22/1/2019.

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. Smt. S. Shalini Kujur,
H.No. 10/D, 3rd floor, MIG Flats, Green View apartment,
Sector 99, Noida U.P

2. PS to Hon'ble Vice - Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SSK/3/2018/MCVL1/SEPROM/RU- 3)

श्रीमती एस शालिनी कुजूर व अन्य नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा चेक केबिन क्रू (सीसीसी), एयर इंडिया एक्सप्रेस के रूप में 2016 से विचाराधीन पदोन्नति को लागू करने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02/11/2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत्त

बैठक की तिथि	:	02/11/2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्रीमती एस शालिनी कुजूर, मकान संख्या. 10/D, तीसरा तल, एमआईजी फ्लैट्स, सेक्टर-99, नोएडा, उत्तरप्रदेश व अन्य द्वारा आयोग को अभ्यावेदन देकर एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा चेक केबिन क्रू के रूप में विगत तीन वर्ष से पदोन्नति रोकने तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने के कारण श्रीमती एस शालिनी कुजूर सहित पांच अन्य कर्मियों के साथ भेदभाव किए जाने के मामले में न्याय दिलाने हेतु आयोग से निवेदन किया।
2. मामले को संज्ञान में लेकर दिनांक 02/08/2018 को आयोग ने चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया एक्सप्रेस को नोटिस जारी किया। जिसके पश्चात एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दिनांक 14/08/2018 को प्रेषित पत्र द्वारा आयोग को मामले में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।
3. अभ्यावेदक द्वारा पुनः निवेदन करने और आयोग को एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त जवाब से असंतुष्टि व्यक्त करने पर आयोग ने नोटिस जारी कर दिनांक 02/11/2018 को चीफ(एचआर) एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, कोच्चि को आयोग में बैठक के लिए बुलाया।
4. दिनांक 2/11/2018 को के बैठक में उपस्थित हुए।
5. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा इस पर अभ्यावेदकों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि एआईसीएल की 1 अप्रैल 2015 के सेवा शर्तों के अनुसार केबिन क्रू इन चार्ज (सीसीआईसी) से चेक केबिन क्रू (सीसीसी) के पद पर पदोन्नति के लिए निवर्त्तमान पद पर पांच वर्ष की सेवा अवधि ही पात्रता निर्धारित थी। जिसके अनुसार हमें पदोन्नति दी जानी चाहिए थी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. आयोग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस का पक्ष जानना चाहा, इस पर चीफ एचआर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आयोग को यह अवगत कराया कि चेक केबिन क्रू (सीसीसी) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा शर्त निवर्तमान पद पर 5 वर्ष की सेवा देने के साथ ही परिचालन के लिए आवश्यकता और रिक्तियां आधारित है। चेक केबिन क्रू के रूप में पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की सेवा शर्त पूरी होने और रिक्तियां नहीं होने पर पदोन्नति नहीं मिलने के कारण चेक केबिन क्रू इन चार्ज (सीसीआईसी) निवर्तमान शर्तों के अनुसार 500 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ ही पांचवे वर्ष के अनुसार उड़ान भत्ता के हकदार होते है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 29 चेक केबिन क्रू हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जनजाति के 2, सामान्य के 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 कर्मी शामिल हैं। वर्तमान परिचालन जरूरतों के अनुसार इस पद पर अन्य रिक्तियां नहीं है। वरिष्ठता क्रम के अनुसार वर्तमान में 26 केबिन क्रू इन चार्ज (सीसीआईसी) चेक केबिन क्रू के रूप में पदोन्नति के लिए प्रतिक्षा सूची में हैं। जिसमें, श्रीमती एस शालिनी कुजूर का 23 वा, श्री लेन किपगेन का 13 वां, श्रीमती करेन एओ का 24 वां, श्रीमती रोज फिनेट का 12 वां, श्री जॉर्ज केरकेट्टा का 22 वां स्थान हैं। उन्होंने आयोग को यह भी बताया कि कंपनी में वर्तमान परिचालन जरूरतों के अनुसार चेक केबिन क्रू की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियां होने पर केबिन क्रू इन चार्ज (सीसीआईसी) को वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन कर्मियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है।

7. आयोग ने इस मामले में सभी पक्षों और दस्तावेजों के परीक्षणोंपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की है –

   1. एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्ष 2016 से विचाराधीन पदोन्नति से प्रभावित अभ्यावेदकों को के लिए आर्थिक आधार पर क्षतिपूर्ति करना सुनिश्चित करे।
   2. रिक्तियां उपलब्ध होते ही अभ्यावेदकों की अर्हता के अनुसार उन्हें पदोन्नति दी जाए।
   3. विगत 15 वर्षों की प्रोन्नति के आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराया जाए जिसमें पदोन्नत हुए कर्मियों की श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई कार्रवाई से आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SSK/3/2018/MCVL1/SEPROM/RU- 3)

श्रीमती एस शालिनी कुजूर व अन्य नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा चेक केबिन क्रू (सीसीसी), एयर इंडिया एक्सप्रेस के रूप में 2016 से विचाराधीन पदोन्नति को लागू करने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02/11/2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारीगण :-

(1.) सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष

(2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक

(3.) गौरव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव

(ब) एयर इंडिया एक्सप्रेस, कोच्चि के अधिकारीगण :-

(1) टी. विजयकृष्णन, चीफ, एच आर

(2) हेमंत शर्मा, अधिकारी, एच आर

(स) अभ्यावेदनकर्ता

(1) श्रीमती एस शालिनी कुजूर

(2) कुणाल सिंह

(3) रोज फिनेट